संख्याः 51 / P / XXIV-3/11/03(17)10

(46)

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 02 सितम्बर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख (2) / 29789 / जीर्ण–शीर्ण / 2011–12 दिनांकः 25 जुलाई, 2011 के सम्बन्ध में तथा शासनादेश संख्याः 1139 / XXIV/3/11/03 (17) 10,दिनांकः 08 सितम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–4 में अंकित अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 में अंकित पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 158.00 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र.स.	विद्यालय का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	रा0इ0का0 मासौ, पौडी	1139 / XXIV/3/11/03(17)10,दिनांकः08 सितम्बर,, 2010,	58.93	5.93	53.00
2.	रा0इ0का0 डडोली पौड़ी	"	57.49	5.49	52.00
3.	रा0इ0का0 हिंवालीधार, पौडी	"	58.56	5.56	53.00
		कुल योग–	174.98	16.98	158.00

1. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः475 / XXVII (1)/2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षतिरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

आज्ञा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियामें के अनुसार किया जाए और जहॉ आवश्यक हो व्यश्य करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

11. उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यो को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन, विभाग को हस्तगत करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय। बिलम्ब के कारण किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः136(P)XXVII(3)2011-12 दिनांकः 25 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव
(स्वतन्त्र प्रभार)।